न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल श्रृंखला न्यायालय रीवा, (म0प्र0)

R-2987-II/15

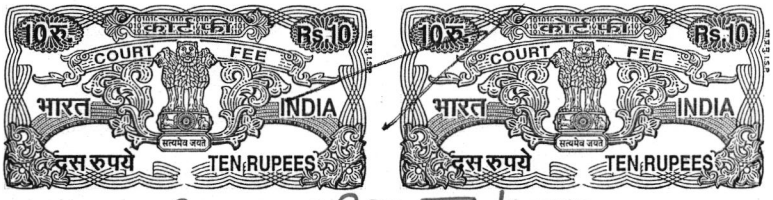

शंकर सिंह तनय स्व. दमोदर सिंह, उम्र 48 वर्ष, पेशा ठेकेदारी एवं खेती, निवासी ग्राम–पड़रा, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

------निगरानीकर्ता

श्री. राकेश तिवारी द्वारा आज दिनांक 19-8-15 को प्रस्तुत किया गया।

बनाम्

1. धीरेन्द्र बहादुर सिंह तनय रंगनाथ सिंह उम्र 50 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम–पड़रा, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)
2. मु. कमला देवी बेवा राघवेन्द्र सिंह, उम्र 75 वर्ष, पेशा गृहकार्य,
3. मु. राजकुमारी सिंह बेवा भूपेन्द्र सिंह, उम्र 48 वर्ष, पेशा गृहकार्य,
4. प्रदीप सिंह तनय भूपेन्द्र सिंह, उम्र 32 वर्ष, पेशा खेती,
5. प्रमोद सिंह तनय भूपेन्द्र सिंह, उम्र 30 वर्ष, पेशा खेती,
6. बीरेन्द्र सिंह तनय राघवेन्द्र सिंह उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती,
7. रविचन्द्र सिंह तनय राघवेन्द्र सिंह, उम्र 52 वर्ष, पेशा नौकरी,
8. कृष्ण कुमार सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह, उम्र 47 वर्ष, पेशा खेती,
9. महेन्द्र सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती,
10. राजकुमार सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह, उम्र 39 वर्ष, पेशा खेती,
11. विक्रम सिंह तनय ज्वाला सिंह, उम्र 64 वर्ष, पेशा खेती,
12. मु. बेवा प्रेमवती सिंह पत्नी ओंकार सिंह, उम्र 62 वर्ष, पेशा गृहकार्य,
13. विजय सिंह पिता स्व. ओंकार सिंह उम्र 37 वर्ष, पेशा नौकरी,
14. अजय सिंह पिता स्व. ओंकार सिंह, उम्र 29 वर्ष, पेशा खेती,
15. जय सिंह पिता स्व. ओंकार सिंह उम्र 26 वर्ष, पेशा खेती
16. श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी बृजेन्द्र सिंह, उम्र 60 वर्ष, पेशा घरूकार्य,
17. राम सिंह तनय बृजेन्द्र सिंह, उम्र 37 वर्ष, पेशा खेती,
18. शैलेन्द्र सिंह तनय स्व. बृजेन्द्र सिंह, उम्र 32 वर्ष, पेशा खेती,
19. अमित सिंह तनय स्व. बृजेन्द्र सिंह, उम्र 26 वर्ष, पेशा खेती,

सभी निवासी ग्राम–मौहरिया, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

20. मु. रैमुना बेवा दमोदर सिंह उम्र 80 वर्ष, पेशा गृहकार्य,
21. सजन सिंह पिता स्व. दमोदर सिंह, उम्र 47 वर्ष, पेशा खेती,
22. मु. छविराजू बेवा रंगनाथ सिंह, पेशा गृहकार्य, उम्र 78 वर्ष,
23. राजेन्द्र बहादुर सिंह तनय रंगनाथ सिंह उम्र 54 वर्ष,
24. मु. इतरजुआ पति प्रेमचन्द्र गुप्ता, उम्र 52 वर्ष, पेशा गृहकार्य,

सभी निवासी ग्राम–पड़रा, तहसील गोपदबास, जिला–सीधी (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोपदबनास जिला–सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक अपंजीकृत 2014–15 आदेश दिनांक 26.06.2015.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न पुनरीक्षण प्रस्तुत है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य व सहज न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय अपीलार्थी के स्थिति को नजर अंदाज किया और प्रश्नाधीन आदेश बिना किसी अधिकार के तकनीकी आधार पर पारित किया फलतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई स्थिर रखने योग्य नहीं है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय यह देखने का प्रयास नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपदबनास गिर्द द्वितीय जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 42/अ–27/2012–13 आदेश दिनांक 12.05.15 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है, उक्त अपील गैर निगरानीकर्ता क्र. 1 को प्रस्तुत करने हेतु कोई विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गैर निगरानीकर्ता क्र. 1 के अपील में संज्ञान लेकर दिनांक 26.06.15 को अपीलाधीन भूमियों पर उभयपक्षों के मध्य शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मौके में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है जो कतई उचित नहीं है फलतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय यह देखने का प्रयास नहीं किया कि गैर निगरानीकर्ता क्र. 1 द्वारा जो अपील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2987–दो/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोपदबनास जिला सीधी के आदेश दिनांक 26–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रश्नाधीन अंतरिम आदेश में इस आधार पर उभय पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है कि ''उत्तरवादी अपीलार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपीलाधीन भूमियों पर उभय पक्षों के मध्य यथास्थिति बनाये रखने दिये हैं।'' अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण की स्थिति पर विचार कर उभय पक्ष को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं, जो उचित हैं, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30–12–2011 को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में हुये नवीन संशोधन अनुसार धारा 52 के प्रावधान की परिधि के बाहर जाकर आदेश पारित किया है जिसे संशोधित किया जाना भी आवश्यक है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस स्तर तक संशोधित किया जाता है कि आगामी 89 दिवस तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में यथाशीघ्र निर्णय लेने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	